न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 3/2014/अपील

अमर सिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 52 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम बुबाना दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट

बनाम

1. इन्द्रजीतसिंह | पुत्रगण सोहनसिंह
2. शैलेन्द्र सिंह |
3. कमल कंवर | पुत्रियां सोहनसिंह
4. गौर कंवर |
5. मगन कंवर |
6. मूलसिंह | पुत्रगण भंवरसिंह
7. नरपतसिंह |
8. ग्राम पंचायत, धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—रेस्पोंडेट

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 245 दि0 25.05.1985 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत, धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति—

1. श्री शिवपालसिंह वकील अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.04.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख.नं. पुराने खसरा नं. 76/1/1 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा, 118/3 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, 163/3 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 40 बीघा 4 बिस्वा तथा पुराने ख.नं. 129 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा, 119 रकबा 3 बिस्वा एवं 162 रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम बुबाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित है जिसके गत भू प्रबन्ध के दौरान नये ख.नं. 339, 341, 384, 385, 386, 480, 478, 169, 170, 344/888, 471, 180 राजस्व रिकार्ड में कायम किये गये है। उपरोक्त भूमियों के खातेदार सोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह फौत हो चुके है जिनके वारिसान को रेस्पा. सं. 1 ता 5 के रूप में प्रस्तुत अपील में पक्षकार बनाये गये है। अपीलांट के पिता भंवरसिंह पुत्र दीपसिंह कौम राजपूत का अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का ना.करण भरते समय अपीलांट को कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा रेस्पो. सं. 8 ने रेस्पो. सं. 1 ता 7 से मिलकर अपीलांट का नाम उपरोक्त विरासत की भूमियों के राजस्व रिकार्ड में अमरसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर अमराव सिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज कर दिया गया जिसके बारे में अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो पाई। दिनांक 22.01.2014 को जब अपीलांट ने किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

रिकार्ड जमाबंदी निकलवायी तब उपरोक्त गलत अंकन हो जाने के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हुई इसके पश्चात् उसी रोज दिनांक 22.01.2014 को अपीलाधीन ना.करण सं. 245 दिनांक 25.5.1985 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। नकल दिनांक 23.01.2014 को प्राप्त होने पर यथाशीघ्र अील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में अलग से आवेदन दफा 5 मियाद अधिनियम का अलग से पेश किया जा रहा है। उपरोक्त ना.करण तस्दीक करते समय अपीलांट को कोई सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। ना.करण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत भरा हुआ होने के कारण कई स्थिर रहने योग्य नहीं हैं। अतः अपीलांट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन ना.करण सं. 245 दिनांक 25.05.1985 द्वारा ग्राम पंचायत, धोलासरी प.मं. दांतारामगढ जिला सीकर को निरस्त फरमाया जावें।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी का वास्तविक नाम अमरसिंह पुत्र भंवरसिंह है लेकिन ग्राम पंचायत, धोलासरी द्वारा अपीलार्थी का वारिस ना.करण सं. 245 दिनांक 25.5.1985 भरते समय अमराव सिंह पुत्र भंवरसिंह अंकित कर दिया गया है। अपने नाम के समर्थन में मा0 स्कूल परीक्षा 1978 का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 245 दिनांक 25.5.1985 द्वारा ग्राम पंचायत, धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज फरमाया जावें।
4. हमने वकील अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वकील अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ विलम्ब को कण्डोन करने हेतु आवेदन अं.धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में आपति प्रस्तुत नहीं करने से आवेदन अं. धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रस्तुत सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र 1978 में अपीलार्थी का नाम अमरसिंह पुत्र भंवर सिंह अंकित है तथा रेस्पो. सं. 1 ता 7 द्वारा कोई आपति व्यक्त नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विवादित ना.करण सं. 245 दिनांक 25.05.1985 द्वारा ग्राम पंचायत, धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में जांच कर ना.करण पुनः दर्ज करवाकर तस्दीक करें। मिसल बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।
5. यह आदेश आज दिनांक 11.04.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ